राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाकः–09(07)गृह–1/2022 जयपुर, दिनांकः– 01.09.2023

::परिपत्र::

राजस्थान पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस बल के सदस्य के रूप में सराहनीय सेवाओं के दृष्टिगत तथा उनके मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु पात्रतानुसार प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर "राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक" एवं "राजस्थान पुलिस सेवा पदक" घोषित किये जायेगें एवं इनका वितरण आगामी वर्ष में राजस्थान पुलिस दिवस परेड़ के अवसर पर किया जावेगा।

1. उपरोक्त पदकों को प्रदान किये जाने के लिए अर्हता की निम्न शर्ते होंगीः–

(i) ये पदक राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के वर्दीधारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) को पात्रतानुसार प्रदान किये जायेगें।

(ii) उक्त पदकों हेतु पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेगें। आवेदन हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रभाव में आने तक ऑफलाईन मोड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जा सकेगें।

(iii) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अन्य विवरणों के साथ–साथ आवेदक द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के संबंध में उद्धरण (Citation) प्रस्तुत किया जायेगा जो कि 200 शब्दों से अधिक नहीं होगा।

(iv) पदक हेतु सामान्य पात्रता निम्नानुसार होगी –

(a) राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक

- जिसकी 25 वर्ष की निरन्तर सेवा बेदाग रही हो।
- जो सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी लघु या वृह्द दण्ड से दण्डित नहीं हुआ हो तथा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में सिद्ध दोष ना किया गया हो।
- आपराधिक या एसीबी प्रकरण में नामजद ना हो साथ ही सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस ओर इंगित ना करे कि पदक प्रदान किया जाना उचित ना हो। (इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कमेटियां प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा करेगी)

- जिसके गत 25 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।
- मेडल दिये जाने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध लम्बित ना हो, ना ही लघु दण्ड चल रहा हो।

(b) राजस्थान पुलिस सेवा पदक :–

- जिसकी 15 वर्ष की निरन्तर सेवा बेदाग रही हो।
- जो सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी लघु या वृहद दण्ड से दण्डित नहीं हुआ हो तथा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में सिद्ध दोष ना किया गया हो।
- आपराधिक या एसीबी प्रकरण में नामजद ना हो साथ ही सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस ओर इंगित ना करे कि पदक प्रदान किया जाना उचित ना हो। (इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कमेटियां प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा करेगी)
- जिसके गत 15 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।
- मेडल दिये जाने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध लम्बित ना हो, ना ही लघु दण्ड चल रहा हो।

(v) इन पदकों हेतु कार्मिकों के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारी/कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ''राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक'' एवं ''राजस्थान पुलिस सेवा पदक'' की कुल संख्या, कुल नफरी का अधिकतम 0.1 प्रतिशत होगी, जिसमें से ''राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक'' की संख्या 0.025 प्रतिशत तथा ''राजस्थान पुलिस सेवा पदक'' की संख्या 0.075 होंगी।

(3) राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक एवं राजस्थान पुलिस सेवा पदक प्रदान किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित कारणों से वापस लिये जा सकेगें अथवा जब्त किये जा सकेगें :–

- यदि प्राप्तकर्ता को किसी पदक प्राप्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृहद दण्ड प्रदान किया जाता है।
- यदि प्राप्तकर्ता को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।
- यदि प्राप्तकर्ता को किसी पदक प्राप्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप 03 लघु शास्तियां प्रदान की जाती है।

- सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाये जाने पर अथवा नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार अथवा गम्भीर अपराधों में दोषी पाये जाने पर ।

(4) प्रक्रिया :–

उक्त पदक हेतु पात्र पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की समीक्षा हेतु सम्बन्धित रेंज/यूनिट स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी, जो रेंज/यूनिट में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण कर पात्र पुलिस कार्मिकों की सूची मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी को प्रेषित करेगी।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी विभिन्न रेंज/यूनिट से प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारित मापदण्डानुसार परीक्षण कर पात्र पुलिस कार्मिकों को उक्त पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुशंसा करेगी।

रेंज/यूनिट से पात्र पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के प्रस्ताव निम्न संलग्न दस्तावेजों के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित जांच एवं परीक्षण समिति को भिजवाये जायेगें।

उक्त पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उनके सेवाकाल में पुनः उक्त पदक प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें। राजस्थान पुलिस सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पदक प्राप्ति से 06 वर्ष की समयावधि के पश्चात ही ''राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक'' हेतु पात्र होगें।

(5) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–

- पात्र अधिकारी/कार्मिक की प्रस्तावित पदक अनुसार निर्धारित वर्षो की वार्षिक गोपनीय कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन ग्रेडिंग ।
- निष्ठा प्रमाण–पत्र।
- अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच/सतर्कता जांच या आपराधिक/न्यायिक कार्यवाही लम्बित नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र ।
- पात्र अधिकारी/कार्मिक का सेवा विवरण।

(6) उक्त पदक प्रदान करने के लिये रेंज/यूनिट स्तर पर निम्न स्थाई समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

रेंज स्तर :–

- महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस – अध्यक्ष
- रेंज मुख्यालय पर पदस्थापित पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- रेंज कार्यालय में पदस्थापित अति0 पुलिस अधीक्षक – सदस्य सचिव

<u>यूनिट स्तर :–</u>

- यूनिट प्रभारी – अध्यक्ष
- यूनिट में पदस्थापित आईजी / डीआईजीपी – सदस्य
- यूनिट में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक / अति0 पुलिस अधीक्षक – सदस्य सचिव

पुलिस रेंज के अलावा अन्य शाखा / यूनिट में पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों को पदक प्रदान करने हेतु गठित की जाने वाली समितियों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस / महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी ही समिति के अध्यक्ष होगें।

(7) उक्त पदक प्रदान करने के लिये पुलिस मुख्यालय स्तर पर स्थाई समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम महानिदेशक / अति0 महानिदेशक पुलिस – अध्यक्ष
- महानिदेशक / अति0 महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था – सदस्य
- महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) –सदस्य सचिव

(8) पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित उक्त समिति द्वारा अभिशंषा पश्चात राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के उपयुक्त कर्मचारियों / अधिकारियों को ''राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक'' एवं ''राजस्थान पुलिस सेवा पदक'' दिये जाने का निर्णय महानिदेशक पुलिस राजस्थान स्तर से लिया जावेगा।

(9) सामान्य निर्देश :–

दण्ड का विचार करते समय दण्ड की परिभाषा में निम्नलिखित दण्डों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा :–

- पी.डी. की सजा
- एक्स्ट्रा ड्रिल की सजा
- कन्फाईन्मेन्ट टू क्वार्टर गार्ड / बैरेक आदि की सजा
- सेवा पुस्तिका चेतावनी
- फटिग ड्रिल आदि

(10) उक्त दोनों पदकों हेतु चयनित पुलिस कर्मचारियों / अधिकारियों के शारीरिक दक्षता / मेडिकल जांच के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक / पुलिस पदक हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित SHAPE-1 श्रेणी का प्रमाण–पत्र, होना आवश्यक होगा (अपवादिक प्रकरणों में SHAPE-2 श्रेणी हेतु छूट दी जा

सकेगी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(11) उपरोक्त दोनों पदकों के रिबन, पदक का गेज, व्यास (डायामीटर), रंग, धातु तथा पुलिस यूनिफार्म पर लगाया जाने वाला स्थान निम्नानुसार होगा :–

(i) राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक

(a)पदक के रिबन में तीन पट्टी होंगी जिसमें प्रथम पट्टी रंग केसरिया (Saffron in colour) इसके बाद हरी पट्टी (Green Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) बीच में सफेद रंग की पट्टी (White Strip) इसके बाद हरी पट्टी (Green Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) एवं अन्त में गहरी भूरी (Dark Brown @ Coffee Colour Strip) होगी। केसरिया, सफेद गहरे भूरे रंग की पट्टियों की चौड़ाई क्रमशः .9,.9,.9, एम.एम होगी।

(b) एक पदक के रिबन की चौड़ाई 3.1 से.मी. व लम्बाई 7.5 से.मी. होगी।

(c) रिबन की लम्बाई 7.50 से.मी. होगी जिसमें उपर से नीचे की ओर 4/4.5 से.मी. पर पदक लगाया जायेगा।

(d) पदक का आकार तथा अन्य विवरण

- पदक का आकार गोल होगा।
- पदक का व्यास (Dia.) 35 एम.एम होगा।
  - पदक की मोटाई (Gauge) 16
  - पदक का धातु (Cupro-Nickel) होगा। पदक का चिन्ह और इस पर लिखित शब्द उभरे हुए होगें। (Embossed with 3D)
  - पदक का रंग ब्रोंज (Bronze) होगा।
  - पदक के अन्दर बीच में राजस्थान का नक्शा (Map) बना होगा।
  - राजस्थान के नक्शे (Map) के अन्दर ''विजय स्तम्भ'' का चिन्ह बना होगा तथा उसके नीचे राजस्थान पुलिस लिखा होगा, पदक के निचले भाग पर "सेवार्थ कटिबद्धता" लिखा होगा।
  - पदक के पीछे, ऊपर की ओर गोलाई में पदक का नाम अंकित होगा।

(a) पदक को कमीज के बॉयी पॉकेट/ट्यूनिक पर इस तरह पहना जाए जिससे कि आधार समरूप हो दूसरी तरफ लम्बवत लाईन पॉकेट बटन के मध्य की पंक्ति में हो। (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मैनुअल के अनुसार)

(ii) राजस्थान पुलिस सेवा पदक

(a) पदक के रिबन में तीन पट्टी होंगी जिसमें प्रथम पट्टी रंग केसरिया (Saffron in colour) इसके बाद नीली पट्टी (Blue Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) बीच में सफेद रंग की पट्टी (White Strip) इसके बाद नीली पट्टी (Blue Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) एवं अन्त में गहरी भूरी (Dark Brown @ Coffee Colour Strip) होगी। केसरिया, सफेद गहरे भूरे रंग की पट्टियों की चौड़ाई क्रमशः .9,.9,.9, एम.एम होगी।

(b) एक पदक के रिबन की चौड़ाई 3.1 से.मी. व लम्बाई 7.5 से.मी. होगी।

(c) रिबन की लम्बाई 7.50 से.मी. होगी जिसमें उपर से नीच की और 4/4.5 से.मी. पर पदक लगाया जायेगा।

(d) पदक का आकार तथा अन्य विवरण

- पदक का आकार गोल होगा।
- पदक का व्यास (Dia.) 35 एम.एम होगा।
- पदक की मोटाई (Gauge) 16
- पदक का धातु (Cupro-Nickel) होगा। पदक का चिन्ह और इस पर लिखित शब्द उभरे हुए होंगे।(Embossed with 3D)
- पदक का रंग ब्रोंज (Bronze) होगा।
- पदक के मध्य भाग में राजस्थान का नक्शा (Map) बना होगा।
- राजस्थान के नक्शे (Map) के भीतर "हवामहल" का चिन्ह बना होगा तथा उसके नीचे "राजस्थान पुलिस" लिखा होगा, पदक के निचले भाग पर "सेवार्थ कटिबद्धता" लिखा होगा।
- पदक के पीछे, ऊपर की ओर गोलाई में पदक का नाम अंकित होगा।

(e) पदक को कमीज के बायें पॉकेट/ट्यूनिक पर इस तरह पहना जाए जिससे कि आधार समरूप हो दूसरी तरफ लम्बवत लाईन पॉकेट बटन के मध्य की पंक्ति में हो। (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मैनुअल के अनुसार)

नोटः– यह सभी मेडल दाहिने से बांयी और वरिष्ठता क्रम में लगाए जाएंगे।

(12) उक्त पदकों का रिकार्ड संधारण :–

1. पदक के पीछे अंकित पदक के नाम के नीचे (बीच में) बढ़ते हुये क्रम में यथा 0001,0002 पदक क्रमांक अंकित होगा।

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, गृह।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
9. निज़ी सचिव शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस